

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-27032020-218936
SG-DL-E-27032020-218936

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]	दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 2020/चैत्र 4, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 423
No. 62]	DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2020/CHAITRA 4, 1942	[N.C.T.D. No. 423

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय आयुक्त : खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्यकलाप
अधिसूचना

दिल्ली, 20 मार्च, 2020

सं.फा.3(3)/एफ एण्ड एस/पी एण्ड सी/2020/1481-95.-उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II खण्ड 3 उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित निम्नलिखित अधिसूचना का.आ. 1087 (अ) दिनांक 13 मार्च, 2020, को एतद्वारा सामान्य जानकारी हेतु पुनः प्रकाशित किया जाता है।

“उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2020

का.आ. 1087 (अ).-केन्द्र सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 2क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण, लॉजिस्टिक्स (कोविड 19 प्रबंधन के लिए) को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश को आवश्यक वस्तु आदेश, 2020 कहा जाएगा।
(2) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
2. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में, अनुसूची में, क्रम संख्या (7) के पश्चात् निम्नलिखित मद को जोड़ा जाएगा, नामतः—
“(8) मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर”।
3. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से दिनांक 30 जून, 2020 की अवधि तक प्रवृत्त रहेगी।

[फा. सं. एस-26(1)/2020-ईसीआरएंडई]
अवधेश कुमार चौधरी, आर्थिक सलाहकार”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
अंकिता मिश्रा बुंदेला, सचिव-सह-आयुक्त खाद्य,
आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्यकलाप

DEPARTMENT OF FOOD SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 20th March, 2020

No. F. 3(3)/F&S/P&C/2020/1481-95.—The following Notification S.O.1087 (E) dated the 13th March, 2020 issued by Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3-sub-section (ii) is hereby republished for general information.

“MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2020

S.O.1087(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2A, of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government, hereby makes the following Order, to regulate the production, quality, distribution, logistics of masks (2ply & 3ply surgical masks, N95 masks) & hand sanitizers (for COVID 19 management) namely :-

1. (1) This order may be called the Essential Commodities Order, 2020.
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Essential Commodities Act, 1955, in the Schedule, after serial No. (7), the following item shall be added, namely:-
“(8) masks (2ply & 3ply surgical masks, N95 masks) & hand sanitizers”.
3. This Notification shall remain in force for a period up to 30th June, 2020 from the date of its publication in the Official Gazette.”

[F.No.26 (1)/2020-ECR&E]

A.K.CHOUDHARY, Economic Adviser”

By Order and in the Name of Lieutenant Governor of the National
Capital Territory of Delhi

ANKITA MISHRA BUNDELA, Secy.-cum-Commissioner
Food Supplies and Consumer Affairs